

३५०१०

संख्या—२७१३ / १-१०-२००८-१४(२) / २००८

प्राप्तीकरण
१४.५.०८ प्रेषक,

G.119
१४.५.०८ सेवा में,

जी० के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

श्री हरभजन सिंह
सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग -10

लखनऊ: दिनांक १४ मई, २००८

विषय :— रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर उ०प्र० से प्रदेश के सूखाग्रस्त जनपदों में भू-गर्भ जल अध्ययन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक: 06 मई, 2008 में लिये गये निर्णय के कम में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करने के उद्देश्य से सूखाग्रस्त जनपद झौंसी, ललितपुर एवं चित्रकूट में भू-गर्भ जल स्तर के सर्वेक्षण हेतु कमशः अवशेष 21 स्थल, 38 स्थल एवं 25 स्थल पर सर्वेक्षण कार्य हेतु निदेशक रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर उत्तर प्रदेश के नाम बने एकाउन्ट पेयी चैक संख्या—584315 दिनांक 14 मई 2008 द्वारा रु० 15,00,000/- (रुपये पन्द्रह लाख मात्र), की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त जनपद झौंसी, ललितपुर एवं चित्रकूट में भू-जल की खोज हेतु हैण्डपम्प, ट्यूबवेल, बोरवेल के स्थलों के चयन में सहायक होने के बिन्दु पर दिनांक 06 मई, 2008 को राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अतः उक्त सर्वेक्षण कार्य विलम्बतम् ०५ जून २००८ तक पूर्ण कराते हुए अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित जनपद के जल निगम के वरिष्ठ अधिकारी/जिलाधिकारी/मंडलायुक्त/ राहत आयुक्त को 08 जून 2008 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि में से आहरित की जाने वाली धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग दिनांक ०५ जून, २००८ तक अनिवार्य रूप से हो जाय। उक्त अवधि के

उपरान्त शासन द्वारा आंवटित धनराशि में से यदि बचत सम्भवित हों तो उन्हें दिनांक 10 जून, 2008 तक आपदा राहत निधि के नाम बैंक झापट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जाय।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि में से व्यय होने वाली धनराशि की सूची मात्र जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

5. पेयजल आपूर्ति हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि के कार्य की सतत निरानी / गुणवत्ता हेतु मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टार्स्क फोर्स की टीम भी गठित करेंगे जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी किया जायेगा। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टार्स्क फोर्स के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप हो। जौच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पार्थी गई अनियन्त्रिताओं की पूर्ण सूचना / आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करा दिया जाय।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृति का प्रयोग केवल उपर्युक्त उल्लिखित कार्यों ही किया जा सकेगा। अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नहीं हुई हो।

7. उक्त स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्यों की एक निरूपिति भी प्रकाशित की जाय, जिसके अन्तर्गत जनपद में आपदा सम्बन्धी किये गये कार्यों का विवरण हो। इस निरूपिति को मण्डलायुक्त, राहत आयुक्त एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय तथा इसे जनपद के वेबसाइट पर भी जनसूचना हेतु उपलब्ध कराया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।



9. कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करे एवं संलग्न एकाउन्ट पेयी चैक को अविलम्ब निदेशक रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, सेक्टर-जी, जानकीपुरम, कुर्सीरोड, लखनऊ को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नक—एकाउन्ट पेयी चैक रु0 15,00,000/-
(रुपये पन्द्रह लाख मात्र)।

CL No 584315 बू ५३।

भवदीय
(जी० क० द० द०)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या - २७१३ (1)/1-10-2008-14(2)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, झांसी एवं चित्रकूट धाम।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
4. निदेशक रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, सेक्टर-जी, जानकीपुरम, कुर्सीरोड, लखनऊ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग —5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / लेखाकार राजस्व अनुभाग—10 / राजस्व अनुभाग —6/11 / वेबसाइट के उपयोग हेतु।
7. चालू वित्तीय वर्ष 2008—09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

राज किशोर यादव
(विशेष सचिव)